सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,

चयन और नियुक्ति भर्ती बोर्ड

उच्च न्यायालय

इलाहाबाद

विषय- उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट केन्द्रीकृत भर्ती परीक्षा 2016-17 के वर्ग 'ग' के अभ्यर्थियों के अंतिम चयन परिणाम के साथ 40 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में,

महोदय,

उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट सेन्ट्रलाइज्ड भर्ती 2017-18 के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध कि निम्न बिन्दुओं पर विचार करने का आग्रह।

1- इस भर्ती की प्रक्रिया अगस्त 2017 में प्रारम्भ हुई थी और एक वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है और अन्तिम परिणाम नहीं आया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि तब से निम्न लिखित परीक्षाओं के अतिंम परिणाम घोषित हुए हैं-

(अ) जूनियर असिस्टेन्ट भर्ती परीक्षा UPSSSC-2016 जिसमें लगभग 5000 अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन हुआ।

(ब) ग्राम विकास आधिकारी भर्ती परीक्षा UPSSSC-2016 जिसमें लगभग 3000 अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन हुआ।

(स) गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें लगभग 1500 अभ्यर्थी अन्तिम रूप से चयनित हुए।

(द) रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा कार्यालय सहायक, गुड्स गार्ड, लोकोपायलट भर्ती परीक्षा जिसमें लगभग 18000 अभ्यर्थी अतिंम रूप से चयनित हुए।

(क) बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों का अंतिम रूप से चयन।

ये सभी परीक्षायें समान ग्रेड या उच्च ग्रेड पे की थी जिनमें हजारों अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

अत: प्रार्थी आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट कराना चाहता है कि ये सभी अन्तिम चयन इस दौरान हुए जिस दौरान उक्त भर्ती (UP CIVIL COURT STAFF CENTRALIZED RECRUITMENT 2016-17) की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चल रही थी।

अत: यह सम्भव है कि इस भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी भी अन्तिम रूप से चयनित होंगे जो पूर्व में कहीं चयनित हो चुके हैं और समान या उच्च ग्रेड पे पर चयनित हैं और उक्त भर्ती परीक्षा भी पास करने के उपरान्त भी ज्वाइन नहीं करेंगे। इस स्थिति में माननीय अच्च न्यायालय द्वारा की जा रही भर्ती में प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद हजारों पद रिक्त रह जाने की सम्भावना बनती नजर आ रही है।

2- ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी गौर करने लायक है जो योग्यता की मानक शर्तों को पूरा नहीं करते यथा CCC Certificate और प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान इनका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जायेगा जिससे उनके पद रिक्त रह जाने की सम्भावना रहेगी।

3- उपरोक्त दोनों परिस्थियों में ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी भर्ती परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न होती है और इन अभ्यर्थियों के चयन में किया जाने वाला व्यय भी व्यर्थ चला जाता है।

इसके अतिरिक्त भर्ती न पूर्ण हो पाने की स्थिति में न्यायालयों की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना बनती है।

उपरोक्त सभी अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिए प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय से सविनय अनुरोध करता है कि भर्ती परीक्षा के अन्तिम चयन परिणाम की घोषणा के साथ ही 40 प्रतिशत अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची या प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाये जिससे पद रिक्त रह जाने की स्थिति में उक्त सूची से योग्य अभ्यर्थियों को अंतिम चयन का

मौका मिले। इससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित भर्ती का उद्देश्य भी पूर्ण होता है और योग्य अभ्यर्थियों को ससमय सेवा करने का अवसर भी प्रदान होता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उचि□त कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे योग्य बेरोजगार को समय से रोजगार भी मिले और उन्हे माननीय कोर्ट की सेवा करने का अवसर भी मिल सके। सभी अभ्यर्थी आपके इस विनम्र कदम के लिए आभारी रहेंगे।

दिनांक-

प्रार्थी

....

....

....